

डिकी व मुकदमें इत्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
एम. एस. जिन्दल बनाम रतन

दावा बाबत :- 53, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 99/2017
पेश करने की दिनांक - 21.07.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर
अभिभाषक नौरतमल जैन मुदवई अभिभाषक राज. पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व
डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम राताखेडा के हाल खसरा नम्बर 452/792/1 रकबा 0.5175 का
खातेदार वादी को खसरा नम्बर 452/792 रकबा 0.1725 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को
घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 452/777 रकबा 0.25 पाल वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के
शामलाती खातों में रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक
को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 07 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

